संख्या- 46 /2026/ 963/2026-001-27-10002(002)/13/2025-10

प्रेषक,

इन्द्रजीत सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक: 25 मई, 2026

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में नलकूप (मध्य), लखनऊ परिक्षेत्र में विभिन्न जनपदों के अन्तर्गत राजकीय नलकूपों की क्षतिग्रस्त जल वितरण प्रणाली के जीर्णोद्धार/पुनरोद्धार की 12 परियोजनाओं हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-1193/03-72 जे.डी./न0ख0-1 सीतापुर 21 राजकीय नलकूप आधु0/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 11.05.2026, पत्रांक-1183/03-72 जे.ई./बदायूं 60 राजकीय नलकूप आधु0/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 14.05.2026, पत्रांक-1179/03-72 जे.एफ./बरेली 18 राजकीय नलकूप आधु0/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 14.05.2026, पत्रांक-1192/03-72 जे.जी./न0ख0 उन्नाव 86 राजकीय नलकूप आधु0/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 14.05.2026, पत्रांक-1180/03-72 जे.एच./बरेली व पीलीभीत 65 राजकीय नलकूप आधु0/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 14.05.2026, पत्रांक-1195/03-72 जे.आई./बदायूं 62 राजकीय नलकूप आधु0/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 14.05.2026, पत्रांक-1182/03-72 जे.जे./बदायूं 40 राजकीय नलकूप आधु0/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 14.05.2026, पत्रांक-1190/03-72 जे.के./न0ख0 लखनऊ 34 राजकीय नलकूप आधु0/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 14.05.2026, पत्रांक-1184/03-72 जे.एल./न0ख0-2 सीतापुर 18 राजकीय नलकूप आधु0/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 14.05.2026, पत्रांक-1197/03-72 जे.एम./न.ख.-1 लखीमपुर 26 राजकीय नलकूप आधु0/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 14.05.2026, पत्रांक-1196/03-72 जे.एन./न.ख.-1 लखीमपुर 29 राजकीय नलकूप आधु0/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 14.05.2026, पत्रांक-1191/03-72 जे.ओ./हरदोई 77 राजकीय नलकूप आधु0/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 14.05.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नलकूप (मध्य), लखनऊ परिक्षेत्र में विभिन्न जनपदों के अन्तर्गत राजकीय नलकूपों की क्षतिग्रस्त जल वितरण प्रणाली के जीर्णोद्धार/पुनरोद्धार की निम्न 12 परियोजनाओं हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0-94 के लेखाशीर्षक-4702-102-03-0317-24 ''राजकीय नलकूपों का आधुनिकीकरण एवं जीर्णोद्धार'' में प्राविधानित धनराशि में से निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरण के अनुसार द्वितीय/तृतीय/अंतिम किश्त के रूप में कुल धनराशि रू0 12,45,95,000/- (रूपये बारह करोड़ पैंतालीस लाख पंचानबे हजार मात्र) व्यय किए जाने हेतु अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	अनुदान सं0/ लेखा शीर्षक	वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्राविधानित बजट	शासन द्वारा प्रदत्त स्वीकृति का संदर्भ शासनादेश सं0/ दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृति की लागत (a)/गठित अनुबंध की लागत (b)	अनुबंधित लागत के आधार पर कार्य की पुनरीक्षित लागत	गठित अनुबन्ध/पुनरीक्षित लागत के आधार पर बचत {6(a)-7}	अब तक क्रमिक आवंटन	परियोजना पर आवंटन हेतु अवशेष धनराशि (पुनरीक्षित लागत (7-9)	वित्तीय वर्ष 2026-27 में	
										अनुदान सं0/ लेखा शीर्षक	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	नलकूप खण्ड-प्रथम, सीतापुर के अन्तर्गत 1.5 क्यूसेक क्षमता के 21 अदद् राजकीय नलकूपों के जल वितरण प्रणाली (लाइन गुल) के जीणोद्वार/पुनरोद्वार की परियोजना	94-4702-102-03-0317-24	71.99	103/2025/1797/2025-001-27-10002(002)/13/2025-10, दिनांक 08.12.2025	143.98 (a)/ 121.93 (b)	143.88	0.10	71.99	71.89	94-4702-102-03-0317-24	71.89

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

2	जनपद-बदायूं के तहसील-बिसौली एवं बिल्सी में 60 अदद् राजकीय नलकूपों के जल वितरण प्रणाली एवं यांत्रिक/विद्युत उपकरणों के आधुनिकीकरण की परियोजना	94-4702-102-03-0317-24	173.62	103/2025/1797/2025-001-27-10002(002)/13/2025-10, दिनांक 08.12.2025 एवं 20/2026/493/2026-002-27-10002(002)/13/2025-10, दिनांक 19.03.2026	347.24 (a)/ 293.76 (b)	346.64	0.60	273.62 (173.62+100)	73.02	94-4702-102-03-0317-24	73.02
3	जनपद-बरेली के तहसील-फरीदपुर के अन्तर्गत 18 अदद् राजकीय नलकूपों के जल वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण एवं उपकरणों के प्रतिस्थापन की परियोजना	94-4702-102-03-0317-24	45.53	103/2025/1797/2025-001-27-10002(002)/13/2025-10, दिनांक 08.12.2025	91.07 (a)/ 77.08 (b)	90.95	0.12	45.54	45.41	94-4702-102-03-0317-24	45.41
4	नलकूप खण्ड-उन्नाव के 86 अदद् राजकीय नलकूपों के जल वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण की परियोजना	94-4702-102-03-0317-24	141.67	103/2025/1797/2025-001-27-10002(002)/13/2025-10, दिनांक 08.12.2025	283.35 (a)/ 239.79 (b)	282.95	0.40	141.68	141.27	94-4702-102-03-0317-24	141.27
5	जनपद-बरेली एवं पीलीभीत के नलकूप खण्ड-द्वितीय, बरेली में 1.5 क्यूसेक क्षमता के 65 अदद् राजकीय नलकूपों की जल वितरण प्रणाली के जीर्णोद्वार एवं पुनरोद्वार तथा विद्युत उपकरणों के प्रतिस्थापन की परियोजना	94-4702-102-03-0317-24	136.39	103/2025/1797/2025-001-27-10002(002)/13/2025-10, दिनांक 08.12.2025	272.79 (a)/ 231.00 (b)	272.58	0.21	136.40	136.18	94-4702-102-03-0317-24	136.18
6	जनपद-बदायूं के नलकूप खण्ड-तृतीय, बदायूं में 1.5 क्यूसेक क्षमता के 62 अदद् राजकीय नलकूपों की जल वितरण प्रणाली के जीर्णोद्वार एवं पुनरोद्वार तथा विद्युत उपकरणों के प्रतिस्थापन की परियोजना	94-4702-102-03-0317-24	167.37	103/2025/1797/2025-001-27-10002(002)/13/2025-10, दिनांक 08.12.2025	334.74 (a)/ 283.32 (b)	334.32	0.42	167.37	166.95	94-4702-102-03-0317-24	166.95
7	जनपद-बदायूं के 40 अदद् राजकीय नलकूपों की जल वितरण प्रणाली के जीर्णोद्वार/पुनरोद्वार एवं पम्प सेट, विद्युत सहायक उपकरणों के प्रतिस्थापन की परियोजना	94-4702-102-03-0317-24	106.95	103/2025/1797/2025-001-27-10002(002)/13/2025-10, दिनांक 08.12.2025	213.91 (a)/ 181.09 (b)	213.69	0.22	106.96	106.73	94-4702-102-03-0317-24	106.73

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

8	नलकूप खण्ड-लखनऊ के अन्तर्गत मलिहाबाद के राजकीय नलकूपों पर 34 अदद् पम्प सेट, 54 अदद् स्टार्टर व टी.पी. स्विच के प्रतिस्थापन तथा 54 अदद् राजकीय नलकूपों के जल वितरण प्रणाली की मरम्मत के आधुनिकीकरण की परियोजना	94-4702-102-03-0317-24	127.81	103/2025/1797/2025-001-27-10002(002)/13/2025-10, दिनांक 08.12.2025	255.62 (a)/ 215.57 (b)	254.37	1.25	127.81	126.56	94-4702-102-03-0317-24	126.56
9	नलकूप खण्ड-द्वितीय, सीतापुर के उपखण्ड कार्यालय चतुर्थ मैगलगंज, लखीमपुर खीरी में 18 अदद् राजकीय नलकूपों के जल वितरण प्रणाली के पुनरोद्धार एवं जर्जर पम्प सेट व विद्युत उपकरणों के प्रतिस्थापन की परियोजना	94-4702-102-03-0317-24	38.40	103/2025/1797/2025-001-27-10002(002)/13/2025-10, दिनांक 08.12.2025	76.80 (a)/ 64.75 (b)	76.40	0.40	38.40	38.00	94-4702-102-03-0317-24	38.00
10	नलकूप खण्ड-प्रथम, लखीमपुर खीरी के 1.5 क्यूसेक क्षमता के 26 अदद् राजकीय नलकूपों के जल वितरण प्रणाली (लाइन गुल) के जीणोद्वार एवं पुनरोद्वार की परियोजना	94-4702-102-03-0317-24	72.17	103/2025/1797/2025-001-27-10002(002)/13/2025-10, दिनांक 08.12.2025	144.17 (a)/ 121.71 (b)	143.62	0.55	72.00	71.62	94-4702-102-03-0317-24	71.62
11	नलकूप खण्ड-प्रथम, लखीमपुर खीरी के 1.5 क्यूसेक क्षमता के 29 अदद् राजकीय नलकूपों के जल वितरण प्रणाली (पी.वी.सी. पाइप लाइन) के जीणोद्वार एवं पुनरोद्वार की परियोजना	94-4702-102-03-0317-24	46.45	103/2025/1797/2025-001-27-10002(002)/13/2025-10, दिनांक 08.12.2025	92.45 (a)/ 78.26 (b)	92.35	0.10	46.00	46.35	94-4702-102-03-0317-24	46.35
12	नलकूप मध्य परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद हरदोई के अधीनस्थ खण्डों के 77 अदद् राजकीय नलकूपों के जल वितरण प्रणाली के जीर्णोद्वार एवं पुनरोद्वार तथा पम्प सेटों एवं उपकरणों के प्रतिस्थापना की परियोजना	94-4702-102-03-0317-24	223.11	103/2025/1797/2025-001-27-10002(002)/13/2025-10, दिनांक 08.12.2025	446.22 (a)/ 377.19 (b)	445.08	1.14	223.11	221.97	94-4702-102-03-0317-24	221.97
कुल धनराशि -											**1245.95**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

नियम व शर्ते / प्रतिबन्ध-

प्रश्नगत परियोजनाओं/मद में पूर्व में निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संबंधी शासनादेश संख्या-103/2025/1797/2025-001-27-10002(002)/13/2025-10, दिनांक 08.12.2025 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 तथा वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17.05.2023 यथासंशोधित शासनादेश सं0-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19.05.2023 में निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 12,45,95,000 (रुपये बारह करोड़ पैंतालीस लाख पंचानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026 - 27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 094 लेखा शीर्षक 4702001020317 राजकीय नलकूपों का आधुनिकीकरण एवं जीर्णोद्धार मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
इन्द्रजीत सिंह
अनु सचिव

संख्या-46/2026/ 963(1)/2026-001-27-10002(002)/13/2025-10, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) प्रमुख अभियंता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(4) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(6) मुख्य अभियन्ता (नलकूप मध्य), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(7) मुख्य अभियन्ता (सूचना प्रणाली संगठन)/नोडल अधिकारी, सी0एम0 आई0एस0 पोर्टल।
(8) वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(9) नोडल अधिकारी/अनु सचिव, ऑन लाइन बजट आवंटन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 शासन।
(10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/ सिंचाई एवं जल संसाधन अनु0-9/नियोजन अनु0-3
(11) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(12) गार्ड बुक (बजट)।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।